बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग।

अधिसूचना

ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संख्या 442496 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा "जल–जीवन–हरियाली" अभियान का प्रारम्भ किया गया है। उक्त अभियान में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा व्यापक पैमाने पर सतही योजनाएँ ली जा रही है। इन योजनाओं की सतत् मोनेटरिंग आवश्यक है। उक्त मोनेटरिंग हेतु निम्न प्रकार प्रमण्डल स्तरीय समिति गठित की जाती है:–

क.	प्रमण्डलीय आयुक्त	–	अध्यक्ष
ख.	क्षेत्रीय उपनिदेशक, योजना एवं विकास विभाग	–	सदस्य
ग.	वन संरक्षक	–	सदस्य
घ.	क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि	–	सदस्य
ड..	क्षेत्रीय उप निदेशक, पंचायती राज़	–	सदस्य
च.	अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग	–	सदस्य
छ.	अधीक्षण अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग	–	सदस्य सचिव–सह–संयोजक

2. उक्त समिति "जल–जीवन–हरियाली" अभियान के तहत ली जाने वाली योजनाओं एवं चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा मासिक रूप से करेगी एवं कार्यान्वयन की गुणवत्ता का अनुश्रवण करेगी। समिति यदि आवश्यक समझें तो लघु जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता को विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है।

3. उक्त समिति प्रमण्डल के जिलों के अन्तर्गत Water Bodies में हो रहे अतिक्रमण तथा उसको हटाये जाने की प्रगति की भी समीक्षा करेगी।

4. प्रमण्डलीय आयुक्त समीक्षा के उपरांत एक मासिक प्रतिवदेन प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग को देंगे।

राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(के0 के0 पाठक)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक: प्र०/ल०ज०स०/"जल–जीवन–हरियाली" अभियान– /19 /पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:– सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

प्रधान सचिव,

ज्ञापांक: प्र०/ल०ज०स०/"जल–जीवन–हरियाली" अभियान– /19 7343 /पटना, दिनांक 15/10/19

प्रतिलिपि:– अपर सचिव (श्री मीणा एवं श्री प्रकाश)/संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव